प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.03.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस सप्ताह दिनांक 12.03.2026 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात कमिश्नरेट गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के बलात्कार, आपराधिक अतिचार, अवैध असलाह बरामद होने, हत्या का प्रयत्न करने, चोरी/लूट, बलवा करने, मारपीट/गाली गलौंच करने, उपहति कारित करने व धमकी देने की घटना कारित करने जैसे सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 10 विपक्षी/ अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

क्र0 सं0	वाद संख्या	थाना	विपक्षी का नाम व पता	आपराधिक इतिहास
1	377/24	मसूरी	सददाम पुत्र फरियाद निवासी सलामतुल्ला की बैठक वाली गली मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 321/22 धारा 379,411 भादवि थाना मसूरी 2. मु0अ0सं0 412/17 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली नगर, 3. मु0अ0सं0 654/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी, 4. मु0अ0सं0 611/2023 धारा 18/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना पिलखुवा जनपद हापुड
2	126/2025	मोदीनगर	रोहित पुत्र नानक हलवाई निवासी गली नं0 05 बाग कालोनी थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 69/2024 धारा 380,411,427,457 भादवि थाना मोदीनगर, 2. मु0अ0सं0 356/2024 धारा 380,411 भादवि थाना मोदीनगर
3	211/2025	इन्दिरापुरम	आकाश पुत्र सीताराम निवासी कृष्णा गोशाला के पास ग्राम कनावनी थाना इन्दिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 790/2024 धारा 305,317(2),324(4),331(4) बीएनएस थाना इन्दिरापुरम, 2. मु0अ0सं0 784/2024 धारा 305 बीएनएस थाना इन्दिरापुरम, 3. मु0अ0सं0 737/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम, 4. मु0अ0सं0 542/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम
4	297/2025	इन्दिरापुरम	रिहान उर्फ अथर रजा उर्फ अतर रजा पुत्र आरिफ हुसैन निवासी म0नं0 906 सैक्टर-1 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम, स्थायी पता 597 हिण्डन पुस्ता बालाजी बिहार अर्थला मोहननगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 1305/2024 धारा 64(2)(एम),115(2),351(3) बीएनएस थाना इन्दिरापुरम, 2. मु0अ0सं0 687/2023 धारा 504,506 भादवि थाना साहिबाबाद, 3. मु0अ0सं0 1011/2021 धारा 406,420 भादवि थाना कोतवाली, 4. मु0अ0सं0 516/2023 धारा 406,420,506 भादवि थाना साहिबाबाद, 5. मु0अ0सं0 146/2023 धारा 452,307,323,504,325,34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद, 6. मु0अ0सं0 2253/2018 धारा 135-1(ए) ई0सी0 एक्ट थाना साहिबाबाद, 7. मु0अ0सं0 3042/2017 धारा 447,448 भादवि थाना साहिबाबाद, 8. मु0अ0सं0 49/2015 धारा 323,336,504,506 भादवि थाना साहिबाबाद, 9. मु0अ0सं0 595/2012 धारा 447,448 भादवि थाना साहिबाबाद, 10. मु0अ0सं0 380/2012 धारा 147,406,452,323,504,506,392 भादवि थाना साहिबाबाद, 11. मु0अ0सं0 537/2011 धारा 323,324,504,447 भादवि थाना साहिबाबाद,

5	306/2025	नन्दग्राम	चिराग पुत्र मुकेश निवासी मोहनराम मन्दिर के पास सिहानी थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1 मु0अ0सं0 201/2025 धारा 303(2),317(2),3(5) बीएनएस थाना नन्दग्राम, 2. मु0अ0सं0 268/2025 धारा 303(2),317(2),3(5) बीएनएस थाना नन्दग्राम, 3. मु0अ0सं0 357/2025 धारा 303(2),317(2),317(5),3(5) बीएनएस थाना नन्दग्राम, 4. मु0अ0सं0 144/2025 धारा 303(2),317(5) बीएनएस थाना मधुबन बापूधाम,
6	03/2026	टीलामोड	अन्नू चौधरी उर्फ ईशू चौधरी पुत्र शीशपाल सिंह निवासी अशोक वाटिका गरिमा गार्डन थाना टीलामोड, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 72/2024 धारा 153ए,295,295ए,323,504,506 भादवि थाना टीलामोड, 2. मु0अ0सं0 218/2025 धारा 351(3),352 बीएनएस थाना टीलामोड, 3. मु0अ0सं0 246/2023 धारा 188,295 (ए) भादवि व 125 जन अधिनियम का प्रतिनिधित्व 1951 और 1988 थाना टीलामोड, 4. मु0अ0सं0 732/2023 धारा 147,148,153(ए),307,323,324,336,452, 504 भादवि थाना टीलामोड 5. मु0अ0सं0 330/2022 धारा 295(ए),34,505 भादवि थाना टीलामोड, 6. मु0अ0सं0 171/2020 धारा 153(ए),298,504,505,507 भादवि थाना टीलामोड, 7. मु0अ0सं0 244/2022 धारा 147,295(ए),323,354,506 भादवि व 7/8 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधि0 थाना टीलामोड, 8. मु0अ0सं0 272/2022 धारा 153(ए),295(ए),505 भादवि थाना टीलामोड, 9. मु0अ0सं0 213/2024 धारा 295(ए),504 भादवि थाना टीलामोड,
7	07/2026	कविनगर	विशाल उर्फ नेता पुत्र अनुज निवासी- उत्तम स्कूल के पास चरण गेट पीपल वाली गली म0नं0-242 ग्राम रजापुर शास्त्रीनगर थाना कविनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 04/2023 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली, 2. मु0अ0सं0 28/2023 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली, 3. मु0अ0सं0 46/2023 धारा 379,411 भादवि थाना कविनगर, 4. मु0अ0सं0 288/2023 धारा 379,411 भादवि थाना कविनगर, 5. मु0अ0सं0 341/2023 धारा 379,411 भादवि थाना कविनगर, 6. मु0अ0सं0 388/2023 धारा 379,411 भादवि थाना कविनगर, 7. मु0अ0सं0 431/2023 धारा 379,411 भादवि थाना कविनगर, 8. मु0अ0सं0 70/2023 धारा 379 भादवि थाना क्रासिंग रिपब्लिक, 9. मु0अ0सं0 181/2023 धारा 379,411 भादवि थाना क्रासिंग रिपब्लिक, 10. मु0अ0सं0 187/2023 धारा 379,411 भादवि थाना क्रासिंग रिपब्लिक, 11. मु0अ0सं0 188/2023 धारा 411,414,482 भादवि थाना क्रासिंग रिपब्लिक, 12. मु0अ0सं0 234/2023 धारा 379,411 भादवि थाना क्रासिंग रिपब्लिक, 13. मु0अ0सं0 173/2023 धारा 379,411 भादवि थाना क्रासिंग रिपब्लिक, 14. मु0अ0सं0 475/2023 धारा 2/3 गैगस्ट्रर एक्ट थाना क्रासिंग रिपब्लिक
8	08/2026	मधुबन बापूधाम	रोहित उर्फ रोहन पुत्र सत्ते उर्फ सत्यप्रकाश निवासी-जहारवीर वाली गली ग्राम मोरटा थाना मधुबन बापूधाम, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 321/2022 धारा 392 भादवि थाना साहिबाबाद, 2. मु0अ0सं0 1624/2022 धारा 392 भादवि थाना साहिबाबाद, 3. मु0अ0सं0 1766/2022 धारा 392 भादवि थाना साहिबाबाद, 4. मु0अ0सं0 1812/2022 धारा 392,411,34 भादवि थाना साहिबाबाद, 5. मु0अ0सं0 1813/2022 धारा 392,411,34 भादवि थाना साहिबाबाद, 6. मु0अ0सं0 1814/2022 धारा 307,34 भादवि व 3/25/28 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद, 7. मु0अ0सं0 92/2023 धारा 2/3 गैगस्ट्रर एक्ट थाना साहिबाबाद,
9	14/2026	नन्दग्राम	मनीष पुत्र अनिल निवासी म0नं0 269 विकलांग कालोनी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 163/2024 धारा 392,411 भादवि थाना नन्दग्राम, 2. मु0अ0सं0 269/2024 धारा 392,411 भादवि थाना नन्दग्राम, 3. मु0अ0सं0 304/2024 धारा 392,411 भादवि थाना नन्दग्राम, 4. मु0अ0सं0 353/2024 धारा 392,411 भादवि थाना नन्दग्राम 5. मु0अ0सं0 338/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद, 6. मु0अ0सं0 652/2024 धारा 2/3 गैगस्ट्रर एक्ट थाना नन्दग्राम

10	25/2026	शालीमार गार्डन	जमशेद पुत्र दिलशाद निवासी बी-137 पप्पू कालोनी गली नं0-2 थाना शालीमार गार्डन, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 594/2022 धारा 392,411,34 भादवि थाना साहिबाबाद 2. मु0अ0सं0 281/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना शालीमार गार्डन, 3. मु0अ0सं0 1474/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष **2026 में 32** -विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) तथा वर्ष **2026 में** 08- विपक्षी/अभियुक्त को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान लोहा चोरी करने वाले 06 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से टाटा कम्पनी की चोरी की हुई लोहे की ट्यूब (पाइप), लोहे की शीट्स, 01 कॉयल (अन्य धातू) व 01 इलैक्ट्रॉनिक कॉंटा आदि का कुल वजन 10,730 किलो अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये तथा 8,000/- रुपये नगद एवं 02 ट्रक मय बिल्टी बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 12/13.03.2026 की रात्रि को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर लोहा चोरी करने वाले 06 अभियुक्तगण 1. आसिफ अल्वी पुत्र मौहम्मद रफीक निवासी गली नं014 सैक्टर 09 आदर्शनगर खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष । (कबाडी), 2. रामवीर पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम नया बाँस थाना कोतवाली देहात जनपद एटा उम्र करीब 49 वर्ष । (चालक), 3. प्रमोद कुमार पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम नगलिया पलाँ थाना गभाना जनपद अलीगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष । (चालक), 4. अरमान पुत्र संजय कुमार निवासी बी 25 गाजीपुर थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष, 5. रवि पुत्र भूदेव निवासी 1170 कल्याणपुरी 18 ब्लाक थाना कल्याणपुरी दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष व 6. लवकुश पुत्र महिपाल निवासी ग्राम निगोही थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 20 वर्ष को झण्डापुर जाने वाली सड़क पर स्थित कबाडी गोदाम से टाटा कम्पनी की चोरी की हुई लोहे की ट्यूब (पाइप), लोहे की शीट्स, 01 कॉयल (अन्य धातू) व 01 इलैक्ट्रॉनिक कॉंटा आदि का कुल वजन 10,730 किलो अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये तथा 8,000/- रुपये नगद एवं 02 ट्रक मय बिल्टी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त चालक रामवीर ने बताया कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे ट्रक में जो टाटा कम्पनी का लोहे का सामान लोड़ होता है, उसमें से कुछ सामान निकाल कर यहीं पास में आसिफ कबाडी को बेच देता हूँ। आज भी मेरे ट्रक में टाटा स्टील के लोहे की ट्यूब लोड़ है, जिसमें से मैंने करीब 03 क्विंटल वजन की लोहे की ट्यूब यहीं आसिफ कबाडी के गोदाम पर बेच दी हैं। मेरे साथ अन्य कुछ ड्राइवर भी ऐसा ही करते हैं। हम सब यह लोहे का सामान 40 रुपये किलो के हिसाब से गाड़ी से चोरी करके कबाडी को प्रति चक्कर बेच देते हैं और बाद में आकर अपना हिसाब करके पैसे ले जाते हैं तथा बिल्टी का वजन पूरा करने के लिये हम खाली गाड़ी में 100-150 लीटर डीजल भरवा लेते हैं एवं गाडी में 60-60 किलो की 02-03 प्लास्टिक की रबड़ शीट रखते हैं और खाली गाड़ी का वजन करते समय उन्हें उतार लेते हैं। जिससे लोडिंग माल का वजन पूरा हो जाता है।

कबाडी आसिफ ने पूछताछ में बताया कि यह गोदाम मैंने कबाडे के लिये किराये पर लिया था। इस गोदाम में टाटा कम्पनी से ट्रक लोड़ होकर आते हैं और ट्रक चालक मेरे यहाँ चोरी से 01 या 02 क्विंटल माल निकालकर बेच जाते हैं। जिसे मैं अपने इलैक्ट्रॉनिक कॉंटे से 40 रुपये किलो के हिसाब से लेता हूँ। रामवीर व प्रमोद टाटा कम्पनी के

ही चालक हैं तथा मेरे पास लेबर का कार्य करने वाले 03 लड़के अरमान, रवि, लवकुश उपरोक्त को मैं इस काम के लिए अच्छा पैसा देता हूँ। कम्पनी के चालक से यह माल 40 रुपये की कीमत में लेता हूँ। जिसे 90-95 रूपये किलो के हिसाब से बेच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. आसिफ अल्वी पुत्र मौहम्मद रफीक निवासी गली नं014 सैक्टर 09 आदर्शनगर खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष। (कबाडी)
2. रामवीर पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम नया बाँस थाना कोतवाली देहात जनपद एटा उम्र करीब 49 वर्ष। (चालक)
3. प्रमोद कुमार पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम नगलिया पलाँ थाना गभाना जनपद अलीगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष। (चालक)
4. अरमान पुत्र संजय कुमार निवासी बी 25 गाजीपुर थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष।
5. रवि पुत्र भूदेव निवासी 1170 कल्याणपुरी 18 ब्लाक थाना कल्याणपुरी दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष।
6. लवकुश पुत्र महिपाल निवासी ग्राम निगोही थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

टाटा कम्पनी की चोरी की हुई लोहे की ट्यूब (पाइप), लोहे की शीट्स, 01 कॉयल (अन्य धातू) व 01 इलैक्ट्रॉनिक काँटा आदि का कुल वजन 10,730 किलो अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये तथा 8,000/- रुपये नगद एवं 02 ट्रक मय बिल्टी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।